बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/11 – 9624 खाद्य, पटना/दिनांक – 7/12/2011

प्रेषक,

अशोक कु0 सिन्हा,
विकास आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विगत खरीफ मौसम (2011) में धान के रिकार्ड उत्पादन की आशा है । इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 30 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो गत वर्ष की उपलब्धि का ढाई गुणा है । अतः आवश्यक है कि इस वर्ष अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही **यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानो से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नही** । वास्तव में यह लक्ष्य प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । अतः राज्य सरकार ने **अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता** देने का निर्णय लिया है । खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण–1080/– रू0 एवं धान ग्रेड "ए"–1110/– रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.11.11 से 30.04.12 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 15.11.11 से 15.10.12 तक प्रभावी रहेगा ।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानो से धान क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स के माध्यम से की जानी है ।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नही है वैसे पंचायतों के किसानो से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से धान क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में दो क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।
- किसानो को पूरे राज्य में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरत बाद भुगतान किया जायेगा । इस चेक से बैंक में तुरत भुगतान प्राप्त होगा ।
- पूरे राज्य में क्रय किये गये धान के मिलिंग की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से की जायेगी । पैक्स किसानों से खरीदे गए धान को राज्य खाद्य निगम को बेचेंगे ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक 09.12.11 के पूर्व कर ली जाय ।

3. लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30.00 लाख मे0 टन रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

(मे0 टन में)

भारतीय खाद्य निगम	–	5.0 लाख
बिहार राज्य खाद्य निगम	–	7.0 लाख
पैक्स	–	18.0 लाख
कुल	–	**30.0 लाख**

उक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिलावार लक्ष्य निर्धारण कर विभागीय पत्रांक 9011 दिनांक 09.11.2011 द्वारा आपको संसूचित किया गया है । आपसे यह भी अपेक्षित है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक भी अधिप्राप्ति की जा सकती है ।

4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

राज्य के 4769 पैक्सों द्वारा किसानों से धान का क्रय किया जायेगा एवं अवशेष 3694 पैक्सों से सम्बन्धित पंचायतों में (सूची संलग्न) धान का क्रय बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा । मूल रूप से कय केन्द्र स्थपित करने की जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है । आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी कय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप रजिस्टरों का संधारण ।
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये धान को निर्धारित बेस गोदाम/मिल पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।
- पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानो की सूची का संधारण ।
- पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें के आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ दिनांक 09.12.2011 से निर्धारित धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है । विभागीय पत्रांक 9513 दिनांक 01.12.11 द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले में उपलब्ध बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण के क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदाम को सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 09.12.2011 के पूर्व चिन्हित भंडार स्थल पर निम्नांकित तैयारियॉ पूरी कर ली गई हो :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बेन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
- बेस गोदाम से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल एवं राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था ।

6. <u>मिलिंग की व्यवस्था</u>

पूर्व में इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 8940 दिनांक 27.10.11 द्वारा आप सभी को निदेशित किया गया है कि जिले में/जिले से बाहर उपलब्ध राईस मिल (राज्य के पड़ोसी जिलों सहित) से सभी पैक्स/कय केन्द्रों को टैग कर लिया जाय । कृपया यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्ण कर लिया गया हो । इसके अलावा मिलिंग से सम्बन्धित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाय :–

- प्रत्येक पैक्स को प्रतिदिन यह सूचना उपलब्ध होना चाहिए कि कय किया गया धान किस मात्रा में सम्बद्ध मिल पर राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से मिल को मुहैया कराना है एवं कितनी मात्रा में राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर सूपूर्द करना है ।
- सभी सम्बद्ध पैक्स संचालक को उनके सम्बद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम पदाधिकारी का मोबाइल नं0 अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय ।
- प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला एवं राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हो एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता/भंडारण से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नही पहुंचाया जाय ।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार चावल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा विहित प्रकिया के अनुरूप सी0एम0आर0 चावल को पूर्व से चिन्हित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में भेजे ।
- मिल से भारतीय खाद्य निगम गोदाम सी0एम0आर0 चावल पहुंचाने हेतु पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।
- मिल पर जिला एवं राज्य खाद्य निगम से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जाय ।

- कैम्प आफिस में संधारित होनेवाले पंजियों की व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन कम्प्यूटर के MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड/अनुमंडल कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।

7. भुगतान की व्यवस्था

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये धान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अविलंब कर दी जाय । इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक बुक एवं चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना ।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जिले या प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना
- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉ–ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाना जिससे कि पैक्सों द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान एकमुश्त एडवाइस भेज कर किया जा सके ।
- पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किसानो को क्रय के तुरत बाद किया जाना ।

8. जिला स्तर पर प्रबंधन /अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- प्रखंड में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।

9. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
- पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।

- बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना ।

10. <u>अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका</u>

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

11. <u>अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका</u>

- पैक्स से धान प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना ।
- जहां पैक्स कार्यरत नही हैं उन स्थानों पर किसानो से सीधे धान क्रय करने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्र खोलना ।
- पैक्सों से प्राप्त धान एवं अपने केन्द्रों पर क्रय किये गये धान को मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलों पर पहुंचाने की व्यवस्था ।
- भंडारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना ।
- प्रतिदिन क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये चावल से सम्बन्धित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना ।
- पैक्सों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण ।
- गन्नी बैग की व्यवस्था ।
- आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर के मिलों से मिलिंग हेतु व्यवस्था करना ।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

12. <u>अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका</u>

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों का चयन करना ।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना ।
- पैक्स के सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।
- अधिप्राप्ति कार्य, धान के क्रय विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को उपलब्ध करवाना ।
- पैक्स को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- वैसे तीन जिले जहां सहकारी बैंक नही हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना ।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना ।

13. अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से सम्बन्धित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे ।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना ।

14. जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह में अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना ।

15. प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक जिला का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा करना तथा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

16. जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगे ।

17. अवकाश पर प्रतिबंध

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा । अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

इस संबंध में दिनांक 02.12. 2011 को आयोजित विडियों कॉफ्रेंसिग के माध्यम से आप सभी को विस्तृत निर्देश दिये गये हैं । इससे सम्बन्धित राज्य स्तर पर तैयार की गई **Action Plan** की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है । कृपया **Action Plan** के अनुरूप बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक कर्मियों एवं अन्य आधारभूत संरचना अविलंब उपलब्ध करवायेंगे ।

चूंकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े । इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को कदापि बर्दाश्त नही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

विकास आयुक्त 7.12.2011

ज्ञापांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/11 – 9624 खाद्य, पटना/दिनांक – 7/12/2011
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

विकास आयुक्त 7.12.2011

ज्ञापांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/11 – 9624 खाद्य, पटना/दिनांक – 7/12/2011
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विकास आयुक्त 7.12.2011

ज्ञापांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/11 – 9624 खाद्य, पटना/दिनांक – 7/12/2011
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

विकास आयुक्त 7.12.2011

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

खरीफ विपणन मोसम 2011-12 में धान अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों की जिलावार सूची

प्रमंडल का नाम		जिला का नाम		कुल पैक्सों की संख्या	अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक पैक्सों की संख्या
1		2		3	4
1	तिरहुत	1	मुजफ्फरपुर	387	120
		2	वैशाली	290	196
		3	सीतामढ़ी	273	156
		4	मोतिहारी	410	146
		5	बेतिया	315	257
		6	शिवहर	53	44
2	पटना	7	पटना	331	76
		8	नालन्दा	249	151
		9	बक्सर	142	96
		10	भोजपुर	228	107
		11	कैमूर	151	101
		12	रोहतास	246	246
3	भागलपुर	13	भागलपुर	242	50
		14	बांका	185+4	189
4	मुंगेर	15	मुंगेर	101	101
		16	जमुई	153	101
		17	लखीसराय	80	49
		18	शेखपुरा	54	36
		19	बेगूसराय	257	117
		20	खगड़िया	129	129
5	दरभंगा	21	दरभंगा	330	230
		22	मधुबनी	399	58
		23	समस्तीपुर	381	220
6	सारण	24	छपरा	330	252
		25	सीवान	293	161
		26	गोपालगंज	234	234
7	मगध	27	गया	332	186
		28	अरवल	68	31
		29	औरंगाबाद	204+4	208
		30	जहानाबाद	93	75
		31	नवादा	187	135
8	पूर्णिया	32	पूर्णिया	251	70
		33	किशनगंज	126	75
		34	अररिया	218	60
		35	कटिहार	238	67
9	कोसी	36	मधेपुरा	170	99
		37	सहरसा	153	75
		38	सुपौल	181	65
				8472	4769